

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-7
संख्या- 1708/पाँच-7-2012
लखनऊ: दिनांक: 23 जुलाई, 2012

कार्यालय ज्ञाप

सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद विज्ञापन का प्रतिबंध और व्यापार वाणिज्य, उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनिमय अधिनियम-2003 के प्राविधानों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु राज्य स्तर पर प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की अध्यक्षता में कार्यालय ज्ञाप संख्या-148/पाँच-8-04-120रिट/2001, दिनांक 24 जनवरी, 2005 द्वारा समिति का गठन किया गया था। उक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञाप द्वारा गठित समिति के स्वरूप में परिवर्तन करते हुए समिति का गठन निम्नवत किया जाता है :-

- 1- मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन ।
- 2- प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ० प्र० शासन ।
- 3- प्रमुख सचिव, गृह, उ० प्र० शासन ।
- 4- प्रमुख सचिव, वित्त, उ० प्र० शासन ।
- 5- प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा, उ० प्र० शासन ।
- 6- प्रमुख सचिव/सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ० प्र० शासन ।
- 7- प्रमुख सचिव, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ० प्र० शासन ।
- 8- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ० प्र० शासन ।
- 9- प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ० प्र० शासन ।
- 10- प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ० प्र० शासन ।
- 11- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ।
- 12- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ० प्र० ।
- 13- निदेशक, सूचना, उ० प्र० ।

अध्यक्ष
सदस्य सचिव
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य

31.54/182
WJC (SPS)

26-7-12

5110/509

2- उक्त समिति द्वारा अधिनियम के प्राविधानों के क्रियान्वयन एवं प्रवर्तन हेतु जनपद स्तर पर की गई कार्यवाही की नियमित समीक्षा सुनिश्चित की जायेगी ।

(Handwritten signatures and notes)
गान्धारी 22
वेदिका
27-7-2012
आत्मा रास वर्मा
अनु सचिव

संजय अग्रवाल
प्रमुख सचिव।

संख्या-1768 (1)/5-7-12, तद्दिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन ।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ० प्र० शासन
- ✓ 3. समस्त सम्बन्धित मा० सदस्य
4. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(आर० वी० सिंह)
अनु सचिव ।